न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 34/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. भजना पुत्र मुंशी जाति चमार निवासी ग्राम ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

----- प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1 मोहर सिंह पुत्र मुंशी जाति चमार निवासी ग्राम ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

--- वादी असल रेस्पो0

2 कन्हैयालाल पुत्र श्रीराम जाति यादव
3 दयाराम पुत्र श्रीराम जाति यादव
4 महासिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव
5 महावीर पुत्र श्रीराम जाति यादव
6 सत्यवीर पुत्र श्रीराम जाति यादव
7 अभयसिंह पुत्र मोतीलाल जाति यादव
8 राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल जाति यादव
9 रामनिवास पुत्र मोतीलाल जाति यादव
10 संजय पुत्र मोतीलाल जाति यादव
11 मोतीलाल पुत्र भैरूराम जाति यादव निवासी ग्राम ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान
12 राज0 राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तिजारा

:--- प्रतिवादी तरतीबी रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, तिजारा
दिनांक 31.1.2003

उपस्थित – 1. वकील अपीलांट – श्री आनन्द सिंह

2. वकील रेस्पो0 :– श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 8.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 783/2002 अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2003, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मोहर सिंह ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा 01 में वादी का 1/2 भाग तथा प्रतिवादी नम्बर 01 का 1/2 भाग है । आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 का 2 बीघा और प्रतिवादीगण संख्या 2 ला0 11 का 2 बीघा 12 बिस्वा है । पक्षकारान ने विवादित आराजी को मौके पर दोनों खेतों को एक खेत बनाकर अरसा दराज से बाहमी तौर पर बटवारा किया हुआ है । दोनों खेतों को मिलाकर बाहमी बटवारा करने पर वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 का 5 बीघा 01 बिस्वा रकबा है । इस 5 बीघा 01 बिस्वा रकबे में से बीच का निस्फ हिस्सा वादी का है तथा तरफ पूरब का हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 का है । तरफ पश्चिम का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ला0 11 का है । इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 काबिज है । परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते हैं और शामलात में खेती करने में मजाहमत करते हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का विभाजन किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 31.1.2003 द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री कर तहसीलदार, तिजारा से कुरेजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये । उक्त निर्णय दिनांक 31.1.2003 से व्यथित होकर प्रतिवादी भजना ने यह अपील पेश की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद विन्दू पर तर्क दिये कि जिस दिन तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया था, उस दिन अपीलांट तहत अदालत में उपस्थित नहीं था । इसके वाद वकील साहव से अपीलांट मिला तो उसने भी अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं दी । केवल आगामी पेशी बता दी । जब दिनांक 19.12.2011 को पटवारी हल्का मौके पर रिपोर्ट बनाने आये, तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देंरी को माफ किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने मियाद बिन्दू पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर आर0 एल0 डब्ल्यू0 1997 (1) राज0 पेज 224 पेश की ।

4 विद्वान वकील अपीलांट ने आगे तर्क दिये कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से विवादित आराजी पर वादी का कोई हिस्सा व कब्जा होना साबित नहीं है । तहत अदालत ने जिस कथित शपथ पत्र के आधाार पर आराजी खसरा नम्बर 23 रकबआ 3 बीघा 01 बिस्वा के निस्फ हिस्से का खातेदार वादी को होना माना है, वह शपथ पत्र वादी ने फर्जकारी करके तैयार किया है और उक्त कथित शपथ पत्र के आधार पर जो पट्टा वादी के नाम जारी किया गया है, वह गलत है तथा उसके खिलाफ अपील सक्षम न्यायालय में जेरकार है । मैंने कभी भी तहत अदालत में अपने जवाब दावा व बयान में यह स्वीकार नहीं किया है कि विवादित आराजी में वादी का निस्फ हिस्सा है । पटवारी की रिपोर्ट से भी आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 24 में से 2 बीघा भूमि पर मेरा कब्जा बतौर खातेदार/गैर खातेदार साबित है । मैं और वादी सगे भाई है तथा हमारी मुश्तर्का खातेदारी की विवादित आराजी के अलावा कुछ आराजी ग्राम बामन ठेडी तहसील तिजारा में भी है, जिस समस्त आराजी यानि विवादित आराजी व ग्राम बामन ठेडी की आराजी की बाबत वादी व प्रतिवादी के मध्य काफी समय पहले ही आपसी तौर पर विभाजन हो गया था, जिसके तहत ग्राम बामन ठेडी की आराजी तन्हा वादी के हिस्से में आई तथा विवादित आराजी तन्हा मेरे हिस्से में आई । मैं और वादी इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं । अगर वादी उक्त बाहमी बंटवारा को नहीं मानता है तो कानूनन समस्त आराजी का विभाजन होना चाहिये । परन्तु तहत अदालत ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गौर नहीं किया और विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2013 (1) आर0 एल0 डब्ल्यू0 राज0 उच्च

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय पेज 151 तथा 2017 (1) आर0 एल0 डब्ल्यू0 राज0 उच्च न्यायालय पेज 152 पेश की ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि इनको अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर हो गई थी, परन्तु इन्होंने अपील मियाद वाहर पेश की है । देरी का युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । इसलिये अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने आगे तर्क दिये कि स्वयं अपीलांट ने विवादित आराजी में मेरा 1/2 भाग माना है । जब इन्होंने मेरे वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है तो ऐसी स्थिति में इनको अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । तहत अदालत ने विभाजन के नियमों के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा विद्वान वकील अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा देरी को माफ किया जाता है ।

7 तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रतिवादी अपीलांट ने अपना जवाब दावा पेश कर दिया था । ऐसी स्थिति में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी, जैसा कि सी0 पी0 सी0 के आदेश 14 नियम 01 में प्रतिपादित किया गया है । तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई व साक्ष्य लेकन तनकीवार निर्णय किया जाना चाहिये था, जैसा कि सी0 पी0 सी0 के आदेश 20 नियम 5 में प्रतिपादित किया गया है, परन्तु विद्वान तहत अदालत ने सी0 पी0 सी0 के उपरोक्त समस्त प्रावधानों की अनदेखी की है । प्रकरण विभाजन से सम्बन्धित है । विभाजन के नियमों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि सभी पक्षों की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करानी चाहिये । परन्तु तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया और भू अभिलेख निरीक्षक से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवा ली, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाना आज्ञापक है । तहत अदालत

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अल

ने केवल शपथ पत्र, जो फोटो प्रति है, के आधार पर अपना निर्णय पारित कर दिया, जिसे कानूनसम्मत नहीं कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 31.1.2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । तत्पश्चात स्वयं तहसीलदार से उभयपक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर अग्रिम कार्यवाही करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 31.12.2021 को तहत अदालत में उपस्थित हो ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर